सचिवालयीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए (सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 24ए के अनुसार जो सेबी परिपत्र सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी1/27/2019 दिनांक 8 फरवरी 2019 के साथ पढ़ा जाए)

प्रति
सदस्य गण,
भारतीय स्टेट बैंक

हमने भारतीय स्टेट बैंक (इसके पश्चात "बैंक'' कहा गया है) पर लागू सांविधिक प्रावधानों और सुशासन व्यवहारों के उनके द्वारा अनुपालन की सचिवालयीन लेखापरीक्षा की है। सचिवालयीन लेखापरीक्षा इस ढंग से की गई है कि इससे हमें कॉरपोरेट व्यवहारों/सांविधिक अनुपालनों की स्थिति के मूल्यांकन के लिए और उस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए उचित आधार मिला है।

बैंक की बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर विवरणियों तथा बैंक द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के हमारे द्वारा किए गए सत्यापन के आधार पर और सचिवालयीन लेखापरीक्षा के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, एजंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे अभिमत में, बैंक द्वारा लेखापरीक्षा अवधि अर्थात 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान यहाँ इसके नीचे दी गई सूची के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है और यह भी रिपोर्ट करते हैं कि उचित बोर्ड-कार्यप्रणालियों और अनुपालन-तंत्र की यहाँ इसके पश्चात की गई रिपोर्टिंग की अपेक्षाओं, ढंग और उसके अधीन व्यवस्था की गई है:

हमने बहियों, कागजात, कार्यविवरण बही, फॉर्मों और दायर की गई विवरणियों तथा बैंक द्वारा 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान रखे गए अन्य अभिलेखों की जांच-पड़ताल की है:

i. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 ("अधिनियम") और उनके तहत बनाए गए भारतीय स्टेट बैंक सामान्य विनियम, 1955 ("विनियम");

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उनके तहत बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उनके तहत बनाई गई उप-विधियां;

iv. विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 और उनके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों जहाँ तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों का संबंध है;

v. निम्नलिखित भारतीय विनियम और दिशानिर्देश जहाँ तक भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") का संबंध है:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अर्जन) विनियम, 2011;

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिबंध) विनियम, 2015;

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2018;

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014;#

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (कर्ज प्रतिभूत निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2008;

च. भारतीय प्रतिभूति एवं एक्सचेंज बोर्ड (निर्गम पंजीकार और शेयर अंतरण एजेंट) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में;

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों का वितरण) विनियम, 2009 # ;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 # ;

झ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी एंड पार्टिसिपेंट्स) विनियम, 1996;

ञ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013;

ट. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (स्टॉक ब्रोकर्स और सब-ब्रोकर्स) विनियम, 1992;

ठ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंडरराइटर) विनियम, 1993;

ड़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो मैनेजर) विनियम, 1993;

ढ़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (बैंकर्स टू ए इशू) विनियम, 1994;

ण. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर ट्रस्टी) विनियम, 1993;

त. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों के अभिरक्षक) विनियम, 1996; तथा

थ. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉर्पोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015.

विनियम या दिशानिर्देश, जैसा भी मामला हो समीक्षाधीन अवधि के लिए लागू नहीं हो सकता है।

बैंक के लिए विशेष रूप से लागू अधिनियमों, कानूनों और विनियमों की सूची नीचे दी गई है:

vi. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, के रूप में संशोधन।

vii. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश ।

हमने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ठसूचीकरण विनियमड के लिए लागू खंड के अनुपालन की जांच की है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बैंक ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित को छोड़कर कुछ हद तक लागू हैं:

क) बैंक के केंद्रीय बोर्ड में चौदह (14) निदेशक शामिल हैं, जो पांच (05) कार्यकारी निदेशकों (अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सहित) का गठन करते हैं; छह (06) स्वतंत्र निदेशक और तीन (03) गैर-कार्यकारी और गैर-स्वतंत्र निदेशक । लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (1) के अनुसार, अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक होने के नाते, निदेशक मंडल का कम से कम आधा स्वतंत्र निदेशकों में शामिल होना चाहिए, जबकि बैंक के केंद्रीय बोर्ड में केवल छह (06) स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं । तथापि, लिस्टिंग विनियमों के विनियम 15 में यह प्रावधान किया गया है कि भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 19 और उसके तहत बनाए गए सामान्य नियमों और विनियमों के संदर्भ में केन्द्रीय बोर्ड के गठन के संबंध में लिस्टिंग विनियमों के विनियम 17 के प्रावधान बैंक पर इस हद तक लागू होंगे कि वह संबंधित प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए अपने संबंधित संविधियों और दिशा-निर्देशों या निर्देशों का उल्लंघन नहीं करता है।

ख) बैंक की लेखा परीक्षा समिति में नौ (09) निदेशक शामिल हैं, जिनमें चार (04) स्वतंत्र निदेशक और दो (02) कार्यकारी निदेशक सहित सात (07) गैर-कार्यकारी निदेशकों का गठन 31 मार्च 2020 को किया गया है। बैंक ने लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 18 (1) के तहत आवश्यक समीक्षाधीन अवधि के दौरान अपनी लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की अपेक्षित संख्या नहीं थी।

ग) बैंक की नामांकन और पारिश्रमिक समिति ("एनआरसी") का विधिवत गठन किया जाता है और इसने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया है, हालांकि लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 19 के तहत आवश्यक समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोजित बैंक के एनआरसी की कोई बैठक नहीं हुई। बैंक के एनआरसी ने 23 जनवरी, 2020 को परिपत्र संकल्प के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बोर्ड, बोर्ड समितियों और निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए ढांचे/मानदंडों को मंजूरी दे दी है;

घ) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों पर जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए 7,00,00,000 रुपये (केवल सात करोड़ रुपये) का कुल जुर्माना लगाया है और धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के संबंध में जारी किए गए अपने निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए 50,00,000 रुपये (केवल पचास लाख रुपये) लगाया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

उपर्युक्त को देखते हुए, बैंक के केन्द्रीय निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुई केंद्रीय निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे। केंद्रीय बोर्ड की बैठकों का कार्यक्रम तय करने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी, एजेंडा और एजेंडे में विस्तृत नोटों को बैठकों के लिए पहले से भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, सर्वसम्मति से निर्णय लिए गए और मिनटों की समीक्षा करते हुए कोई असहमति विचार नहीं देखा गया। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के अनुरूप बैंक में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने घटनाओं/कार्यों का अनुसरण किया है:

i) बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति ने 24 अप्रैल, 2019 को हुई बैठक में नियम 144A/विनियमन- एस ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1933 के तहत एकल/बहु किस्तों में दीर्घकालिक निधि जुटाने को 2.5 अरब डॉलर तक बढ़ाने की मंजूरी दी थी। बैंक ने अपनी लंदन शाखा के माध्यम से बांड जारी किए और बांड सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, गिफ्ट सिटी पर सूचीबद्ध हैं।

ii) बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की कार्यकारी समिति ने 29 मई, 2019 को हुई बैठक में निजी प्लेसमेंट मुद्दे के माध्यम से डिबेंचर की प्रकृति में अपरिवर्तनीय, असुरक्षित, बेसल-III अनुरूप, अतिरिक्त टियर-II बांड के मुद्दे को मंजूरी दी थी। अतिरिक्त टियर-2 बांड डिबेंचर की प्रकृति में 50,00,00,00,000 रुपये (केवल पांच हजार करोड़ रुपये) निजी प्लेसमेंट अंक के माध्यम से एकत्रित।

iii) बैंक के केंद्रीय बोर्ड ने 01 जुलाई, 2019 को हुई अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट मुद्दे के माध्यम से 70,00,00,00,000 रुपये (सात हजार करोड़ रुपये) के डिबेंचर की प्रकृति में गैर-परिवर्तनीय, असुरक्षित, बेसल- 3 अनुरूप, अतिरिक्त टियर-1 बांड जारी करने को मंजूरी दी थी।

iv) केंद्र सरकार की अधिसूचना संख्या के अनुसार सीजीडीएल-ई-13032020-218653 दिनांक 13 मार्च, 2020 और यस बैंक लिमिटेड पुनर्निर्माण योजना, 2020 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से जारी यस बैंक लिमिटेड के 6,05,00,00,000 (छहसौ एवं पाच करोड़) इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण ₹ 2 प्रति शेयर के ₹ 8 प्रति शेयर के प्रीमियम पर कुल ₹ 60,50,00,00,000/- (छह हजार एवं पचास करोड़) किया गया है। 14 मार्च, 2020 को उक्त अधिग्रहण के अनुसार, बैंक ने यस बैंक लिमिटेड में कुल 48.21% हिस्सेदारी हासिल की है।

कृते भंडारी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

एस एन भंडारी
पार्टनर
एफसीएस नं: 761; सी पी नं:366
मुंबई: 05 जून, 2020
आईसीएसआई UDIN: F000761B000318441

इस रिपोर्ट को हमारे यहां तक कि तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो एनेक्सचर 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।